

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला शहडोल के अन्तर्गत वनमण्डल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र गोहपारु के संरक्षित वर्नखण्ड सिलपरी-57 के कक्ष क्रमांक PF-712 रकबा 3.077 हेक्टेयर वन भूमि दियापीपर जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	---

तिथि : 12/02/2018

स्थान: भोपाल

(सुनील अग्रवाल)

12/1/18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
भा.व.से.
मध्यप्रदेश, भोपाल